न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. नूर मोहम्मद पुत्र शेर मोहम्मद, जाति-मकरानी बलोच, निवासी-स्कूल मैदान के पास, सरुपगंज, जिला- सिरोही
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रबन्धक)

फर्म:- होटल न्यू लॉर्ड कृष्णा एण्ड रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 27, टॉल प्लाजा, सरुपगंज, जिला- सिरोही

2. मुकेश कुमार रावल, सदर बाजार, सरुपगंज, जिला- सिरोही
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर)

फर्म:- ओटाराम जोराजी, सदर बाजार, सिरोही, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्या: 36/2020

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थिति:

1.अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह देवड़ा, प्रतिवादी संख्या- 2 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 17 फरवरी, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 08.2.2020 को 11.15 ए.एम. पर फर्म होटल न्यू लॉर्ड कृष्णा एण्ड रेस्टोरेन्ट, एन.एच.27, टॉल प्लाजा, सरुपगंज, जिला- सिरोही पर गया। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से नूर मोहम्मद पुत्र शेर मोहम्मद, जाति-मकरानी बलोच, निवासी- स्कूल मैदान के पास, सरुपगंज, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) से खाना बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं होटल के स्टोर में आम जनता के खाना बनाने में उपयोग हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) के 45 किलोग्राम के एक सील्ड पैक्ड प्लास्टिक बेग को खोलकर उसमें मौजूद सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) को अच्छी तरह हिला मिलाकर एकरुप किया एवं [illegible] खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) में से 2 किलोग्राम सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) को एक साफ, सूखे, खाली [illegible] सुपर फाईन मेदा (श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:08:02 IST
Reason: SelfAttested

....पेज नं. 2 पर

शिवशक्ति ब्राण्ड) की कीमत राशि 60/- रुपये नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार कर, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर किये एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह को चारों साफ सूखे खाली प्लास्टिक जार दिखाये तथा मौके लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1107, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। फिर खरीदशुदा सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) को चारों जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा तथा चारों जारों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं एक नमूना जार के साथ खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) के नमूनें के मूल लेबल लगाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1107 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता नूर मोहम्मद व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 10.2.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 10.2.2020 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता नूर मोहम्मद से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति [illegible] मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा प्रतिवादी [illegible] को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर जांच से असंतुष्ट [illegible] में आवेदन

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:08:02 IST
Reason: SelfAttested

करने हेतु सूचित किया गया, लेकिन संबंधित ने पुनः जांच हेतु आवेदन नही किया। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथ अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर प्रतिवादीगण के द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-1 (नूर मोहम्मद) ने इस न्यायालय में दिनांक 06.1.2021 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, उसके बाद प्रतिवादी नूर मोहम्मद इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में नियत तिथि 08.2.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी संख्या-2 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होंने बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त करते हुए प्रतिवादी संख्या-2 के विरुद्ध इस कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध किया।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि दिनांक 08.2.2020 को 11.15 ए.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु होटल न्यू लॉर्ड कृष्णा एण्ड रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 27, टॉल प्लाजा, सरुपगंज, जिला- सिरोही पर गये। उक्त होटल न्यू लॉर्ड कृष्णा एण्ड रेस्टोरेन्ट में खाद्य कारोबारकर्ता व मैनेजर की हैसियत से नूर मोहम्मद पुत्र शेर मोहम्मद, जाति-मकरानी बलोच, निवासी- स्कूल मैदान के पास, सरुपगंज, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो होटल न्यू लॉर्ड कृष्णा एण्ड रेस्टोरेन्ट में आम जनता को खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) का खाना बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल न्यू लॉर्ड कृष्णा एण्ड रेस्टोरेन्ट के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) के अमानक होने की शंका पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना करने हेतु उपस्थित गवाह श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:08:02 IST
Reason: SelfAttested

....पेज चार पर

विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता नूर मोहम्मद को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष होटल के स्टोर में मौजूद खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) के 45 किलोग्राम के एक पैक्ड बेग को खोलकर खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया एवं इस एकरुप किये गये खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) में से 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) को एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में जांच हेतु खरीदा एवं खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 60/- (अक्षरे रुपये साठ मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता नूर मोहम्मद को अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता नूर मोहम्मद, गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाह एवं खाद्य कारोबाकरर्ता नूर मोहम्मद को चार साफ सूखे खाली प्लास्टिक जार दिखाकर खरीदशुदा सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) को इन चारों जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा तथा चारों जारों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-1107, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता नूर मोहम्मद व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) के चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा एक नमूना जार के साथ खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) के नमूने के मूल लेबल को लगाया। फिर चारों नमूना जारों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1107 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबाकरर्ता नूर मोहम्मद, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा होटल न्यू लॉर्ड कृष्णा एण्ड रेस्टोरेन्ट में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर नूर मोहम्मद से खाद्य कारोबारकर्ता सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत बाबत नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। तत्पश्चात् [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) के नमूना भागों को साथ लेकर

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:08:02 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 10.2.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 08.2.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1107 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./89/Act/2020/89 दिनांक 18.2.2020 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा होटल न्यू लॉर्ड कृष्णा एण्ड रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 27, टॉल प्लाजा, सरुपगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर नूर मोहम्मद से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) का नमूना S-1107 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2020/136-39 दिनांक 05.3.2020 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी नूर मोहम्मद को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारुप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी फर्म होटल न्यू लॉर्ड कृष्णा एण्ड रेस्टोरेन्ट ने उक्त खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) का 45 किलोग्राम का पैकड बेग फर्म ओटाराम जोराजी, सदर बाजार, सरुपगंज, जिला- सिरोही से बिल नम्बर 2126 दिनांक 06.2.2020 के द्वारा क्रय किया था, जो प्रतिवादी संख्या-2 (मुकेश कुमार रावल) की फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:08:02 IST
Reason: SelfAttested

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 20[illegible] की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना [illegible] दिनांक 05.4.2012 के

....पेज छः पर

d

द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य सामग्री सुपर फाईन मेदा (श्री शिवशक्ति ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी फर्म होटल न्यू लॉर्ड कृष्णा एण्ड रेस्टोरेन्ट, एप.एच.27, टॉल प्लाजा, सरुपगंज, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) एवं प्रतिवादी मुकेश कुमार रावल, सदर बाजार, सरुपगंज, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म ओटाराम जोराजी, सदर बाजार, सरुपगंज, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण नूर मोहम्मद तथा मुकेश कुमार रावल को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:08:02 IST
Reason: SelfAttested